ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 452-453
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

विनोबा भावे का राजनीतिक चिंतन : दलविहीन लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में

राजित राम यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीतिविज्ञान, बाबा बरुआ दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, परुइयाआश्रम, अम्बेडकरनगर (उ0प्र0) भारत

Received- 04.08.2020, Revised- 09.08.2020, Accepted - 12.08.2020 E-mail: drsudheer80@gmail-com

सारांश : ***मानव विकास की चिंतन परंपरा मनुष्य को नित्य नए विचारों की ओर प्रभावित करती है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। चिंतन करना उसका विशिष्ट गुण है। इसी कारण मनुष्य पशुओं तथा अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ समझा जाता है। यूनानी विचारक अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है विवेक अर्थात बुद्ध की प्रधानता होने के कारण मानव विश्व की विभिन्न वस्तुओं को देखकर उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। मनुष्य की बौद्धिक शक्ति उसे अनेक प्रश्नों के उत्तर जानने को विवश कर देती है जैसे सत्ता का स्वरूप और उसकी सीमाएं क्या है, व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है, विश्व का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों और किस प्रकार हुई, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है इत्यादि प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मानव अपने चिंतन द्वारा देने का प्रयास करता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भावना या विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इन प्रश्नों के द्वारा ज्ञान के लिए मानव में प्रेम की भावना जागृत होती है।मानव का ज्ञान के प्रति प्रेम को राजनीतिक दर्शन (चिंतन) कहा जाता है।***

कुंजीभूत शब्द– मानव विकास, चिंतन परंपरा, चिंतनशील प्राणी, विचारक, विवेकशील प्राणी, प्रधानता, बौद्धिक।

राजनीतिक चिंतन की एक उज्जवल परंपरा है। इसी परंपरा में आचार्य विनोवाभावे का नाम प्रमुख है। विनोबा जी एक दार्शनिक और दृष्टा ही नहीं अमित प्रयोगी भी हैं, उन्होंने अपने दर्शन को लोक जीवन में चरितार्थ करने का नैतिक प्रयोग किया। यद्यपि उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली। परंतु प्रयोग ही अपने आप में मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विनोबा जी का भूदान और ग्रामदान आंदोलन सहयोगात्मक क्रांति का अभूतपूर्व प्रयोग मानवीय और पारस्परिकता कि सुधा से परिपूर्ण था,उन्होंने कहा था कि मनुष्य की सभी प्रकार की शक्ति का मूल्य तभी है, जब वह समाज उत्थान के काम आये। इसलिए उन्होंने दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया, जिसमें सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा बनी रहे।

आचार्य विनोबाभावे आधुनिक लोकतंत्र में दलों की प्रणाली से सहमत नहीं थे क्योंकि आधुनिक राजनीतिक दलों का उद्देश्य शक्ति और सत्ता को प्राप्त करना है। इसके लिए वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। लोकतंत्र का सिद्धांत है कि शासन सत्ता समस्त जनता में निहित होती है परंतु व्यवहार में देखने को मिलता है कि शासन में राजनीतिक दलों का वर्चस्व रहता है वास्तविक रुप से जन सामान्य अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से शासन का निर्णय नहीं कर सकता है। दलीय व्यवस्था समाज के वातावरण को दूषित कर देती है। दलीय व्यवस्था के बारे में विनोबा जी ने कहा था कि " जहां दलीय राजनीतिक दलों का बोल–बाला है, वहां दल सूत्र को अपने हाथ में रखता है और दूसरा दल सत्ता सूत्र से वंचित रहता है। फलस्वरूप दोनों दलों में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है।"[1]

दलगत राजनीति जनता के साहस पर कुठाराघात करती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वामी समझ बैठी है। विचित्र स्थिति यह है कि सेवक स्वयं स्वामी बन गया है। सर्वोदय, ग्रामदान, शांति सेना यह सभी बतलाती हैं कि हमें अपने कार्य स्वयं करना चाहिए हम किसी दल विशेष को मत देकर अपने आप को सत्ता के अधीन कर देते हैं। जन उपक्रम और जनशक्ति के संवर्धन के लिए हमें राजनीतिक दलों के रोगों से मुक्ति पानी होगी। [2]

लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में शासन के कार्यों में जनता अधिक से अधिक भागीदार होती है। इसमें लोक शक्ति का महत्व होता है। लोक शक्ति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि "लोक शक्ति वर्ग जाति संप्रदाय या दल विशेष की शक्ति नहीं है। वह शक्ति है जनता की, नागरिकों की युवकों की, पुरुषों और स्त्रियों की, युवा शक्ति, स्त्री शक्ति, श्रमिक शक्ति इत्यादि लोक शक्ति के ही अंग हैं। दलों में बैठ जाने पर लोक शक्ति खंडित हो जाती है।"[3]

दलगत राजनीति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विनोवा जी ने कहा था कि"जहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के हमारी नीति का प्रश्न है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि उन्होंने भिन्न–भिन्न राजनीतिक दलों के रूप में अपने अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए और सामान्य सहमति से स्वीकृत कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अच्छे तथा निष्ठावान व्यक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा बना लेना चाहिए। इस उद्देश्य

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

से मैंने जनता के सामने एक ऐसा कार्यक्रम रख रहा हूं,जो सब को स्वीकार हो और जिस में सब लोग मतभेद भुलाकर सम्मिलित हो सके। इससे राजनीतिक दल एक दूसरे के निकट आएंगे और सहयोग तथा मेल मिलाप में वृद्धि होगी। भूदान, ग्रामदान इसी प्रकार का कार्यक्रम है और सब को स्वीकार हैं। इस प्रकार जनशक्ति का विकास होगा।"[4]

विनोबाजी ने दलविहीन लोकतंत्र में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रथम निर्वाचन के स्थान पर निर्वाचन के स्थान पर सर्व सम्मति को अपनाना तथा बहुमत के निर्णय के स्थान पर मतैक्य के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना। दूसरा अप्रत्यक्ष नाम निर्देशन की प्रणाली को कार्यान्वित करना है।

दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना के संदर्भ में डा. वी.पी. बर्मा का मत है कि" जिन कार्यकर्ताओं को गांव के सभी निवासी सर्व सम्मति से अपना सेवक समझते हो,उन्ही के नाम निर्देशित किए जाये। ये कार्यकर्ता ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे। यह नाम निर्देशन इस बात को व्यक्त करेगा कि इन कार्यकर्ताओं ने जनता में विश्वास प्रकट कर लिया है । भूदान, ग्रामदान इत्यादि विविध पद्धतिया गांव की सामूहिक सुरक्षा की भावना को पुनः स्थापित करने की ठोस एवं जीवित साधन है। जब ग्रामवासी सर्व सम्मति से सदस्यों का नाम निर्देशन करेंगे और इन दलों की परंपरा में कार्य पद्धति काम नहीं लिया जाएगा, तो इससे सामुदायिक विकास के काम में सहायता मिलेगी।"5

सामाजिक एवं राजनीतिक विचारक डॉ. पुरुषोत्तम नागर ने मानवी समस्याओं के निराकरण के लिए सर्व सम्मति को आवश्यक तत्व मानते हुए कहा कि "अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निराकरण तब तक नहीं हो सकता, जब तक सभी ईमानदार तथा सद्भावना युक्त व्यक्तियों में सर्व सम्मति के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता। हमें ऐसे कार्यक्रम चलाने हैं, जो सभी व्यक्तियों में सामान स्वीकारोक्ति स्थापित कर सकें। अच्छें व्यक्तियों में मतों का वैभिन्य केवल सतही तौर पर होता है और सामान स्वीकारोक्ति के तत्व विद्यमान रहते हैं,जिन पर अमल किया जा सके। अतः प्रत्येक कार्य में मत विभिन्नता को छोड़कर कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।"[6]

इस प्रकार विनोबा जी ने ऐसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसमें कोई दल ना हो और निर्वाचन सर्व सम्मति से हो। जाति, धर्म, वर्गलिंग, भाषा इत्यादि ऊपरी विभिन्नताओं से निरपेक्ष मानवता ही लोकतंत्र में सुरक्षा की अधिकारणीय है। जब नागरिक स्वयं जागरूकता के साथ अपने पड़ोसी के अधिकारों का ध्यान रखता है,तो पुलिस या न्यायालय को समझौता कराने की गुंजाइश नहीं होती। तभी हम दलविहीन लोकतंत्र को साक्षातकृत कर सकेंगे। यह सर्व सम्मति पर आधारित समाज व्यवस्था है। अतः यह व्यवस्था लोक नीति में ही संभव हो सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लोक नीति में राजनीति का प्रवेश व नई व्यवस्था के लिए जनता का घोषणा पत्रः सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाट, वाराणसी मई 1984 पृ. 5।
2. भावे,विनोबाः इलेक्शन डेमोक्रेसी, पृ.45।
3. वही,पृ. 45.46।
4. भावे, विनोबाः भूदान गंगा, अखिल भारती सर्व सेवा संघ काशी,1956 पृ.106।
5. बर्मा,डॉ. बी.पी. , आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मीनारायणअग्रवाल प्रेस आगरा पृ.573. 74।
6. नागर, डॉ.पुरुषोत्तमः आधुनिक भारतीय सामाजिक, राजनीतिक चिंतन ,राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर पृ. 608।

*****